(21)

संख्याः 132/P/XXIV-3/11/06(01)2009

प्रेषक,

श्री ओम प्रकाश,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 8 नवम्बर, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में जीर्ण–शीर्ण योजनान्तर्गत विद्यालय भवनों के निर्माण कार्यो हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख(2)/47452/जीर्ण–शीर्ण/2011–12 दिनांकः 21 सितम्बर, 2011 के संबंध में तथा शासनादेश संख्या 479/XXIV–3/2007/06(01)2009 दिनांकः 30 मार्च, 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जीर्ण–शीर्ण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित 03 रा0इ0कालेजो के द्वितीय चरण के कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन में स्तम्भ–3 में टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित उल्लिखित लागत की कुल धनराशि रू0342.39 लाख, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष स्तम्भ–5 पर अंकित विवरणानुसार कुल ₹ 136.94 लाख (₹ एक करोड़ छत्तीस लाख चौरानबें हज़ार मात्र) की धनराशि को प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके निवर्तन पर रखते हुये नियमानुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्रमांक	विद्यालय का नाम	अनुमोदित लागत	प्रथम चरण हेतु स्वीकृत धनराशि	स्वीकृति हेतु संस्तुत धनराशि
01	02	03	04	05
01	राजकीय इण्टर कॉलेज, सिलोगी, पौड़ी।	107.67	1.74	43.06
02	राजकीय इण्टर कॉलेज, कुन्तणी, पौडी।	120.55	1.74	48.22
03	राजकीय इण्टर कॉलेज, किनसुर, पौडी।	114.17	1.74	45.66
	कुल योग	342.39	5.22	136.94

1. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें, शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

क्रमांक 2

2. कार्य करने से पूर्व उक्त कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शारानादेश संख्याः 475/XXVII(07)2008, दिनांकः 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारंभ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में उल्लिखित नियमों का पालन कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7. आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

8. कार्य कराने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

10. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV–219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का, कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराना सनिश्चित किया जाय।

11. उक्त कार्यों के प्रगति की निरन्तंर समीक्षा करते हुये निर्धारित समयसारिणी के अनुसार उक्त भवन निर्माण कार्य को चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

12. अनुमोदित लागत पर ही निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाय, किसी भी दशा में आंगणन को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

2. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहॉ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, –01–सामान्य शिक्षा, –202–माध्यमिक शिक्षा, –00–आयोजनागत, –11–राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण–शीर्ण भवनों का निर्माण, 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

क्रमांक 3

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 256(P)XXVII(3)2011-12 दिनांकः 22नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 132/P/XXIV-3/11/06(01)2009 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।
7– जिलाधिकारी, पौडी।
8– कोषाधिकारी, पौडी।
9– जिला शिक्षा अधिकारी, पौडी।
10– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड सचिवालय।
11– बजट एवं राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर।
12– परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पौडी गढ़वाल।
13– कम्प्यूटर सैल (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
14– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
16– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।